	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-9-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-9-21 को पेश हों।	
10-9-21	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है~~। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24-9-21 को पेश हों।	
24-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वास्ते राजीनामा अर्से 22-10-21 को पेश हो।	
22-10-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसको आवंटित ख.न. का अमल राजस्व रिकार्ड में गलत हुआ है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

अधिकारी
(बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

65/दावा/2018 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 08.10.2018 श्री युगांतर शर्मा (RAS)

रामदेव आ0 बाला जाति कुम्हार निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

बनाम

1.कजोड आ0 बालू उर्फ बाला जाति कुम्हार निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट 136 एल आर एक्ट।

उपस्थित :— एडवोकेट दिनेश शर्मा

—: निर्णय :— दिनांक 22.10.2021

वादी द्वारा वाद पत्र इस प्रकार पेश किया कि ग्राम बाबई स्थित कृषि भूमि खसरा न0 315 रकबा 0.18 है0,ख0स0 316 रकबा 0.11 है0 ख0स0 317 रकबा 0.82 है0,ख0सं0 319 रकबा 0.86 है ख0सं0 320 रकबा 0.06 है0(गे0मु0वा0) खसरा न0 321 रकबा 1.15 है0 खसरा न0 322 रकबा 0.04 है0 ख0स0 323 रकबा 0.47 है,ख0सं0 324 रकबा 0.63 है0 किता 9 योग रकबा 4.32 हैक्टेयर वाके ग्राम बाबई (नया)तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जों प्रतिवादी न0 1 के गैर खातेंदारी में दर्ज है।

वाद वर्णित कृषि भूमि के सेंटलमेन्ट सर्वे सम्वंत 2041—60 के पूर्व खसरा न0 657/748, 657/749 थें उक्त भूमि पट्टा क्रमांक 2174 दिनांक 30.05.1976 से एंव ख0स0 657/648 रकबा 11 बीघा 9बिस्वा एवं पट्टा क्रमांक 2168 दिनांक 30.05.1976 से ख0न0 657/749 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन किया गया था उक्त आवंटन का नामान्तकरण खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में दर्ज है सेटलमेन्ट सर्वे के दौरान सहवन से वादी व प्रतिवादी का सयुक्त खाता कायम कर दिया वादी को उक्त आवंटित 11 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 1.73 है0 कृषि भूमि खसरा स0 322 ,323 ,324 सम्पूर्ण ख0स0 320 रकबा 0.06 है0 में से 0.03 है0 ख0स0 321 कुल रकबा 1.15 है0 में से 0.56 है0 कृषि भूमि वादी की गैरखातेदारी पृथक से दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सेटलमन्ट विभाग ने गलती से प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गई इस गल इन्द्राज के कारण प्रतिवादी ने वादी को उक्त आवंटित भूमि पर जुताई से मना कर दिया और अन्त में निवेदन किया कि वादी को आवंटित भूमि गत ख0स0 657/748 ... बिस्वा के नवीन ख0न0 322 रकबा 0.04 है0 ख0स0 323 रकबा 0.47 है0 ख0न0 32... सम्पूर्ण एवं ख0न0 320 रकबा 0.06 है0 मे से 0.03 है0 ख0न0 321 ... कुल रकबा 1.73 है0 कृषि भूमि का गैर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करें प्रतिवादी ... स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द करे कि उक्त ख0नम्बरान में वादी की काश्त ... करें।न तो स्वयं करे और ना ही किसी प्रतिनिधि द्वारा करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ख0रा 0322 रकबा 0.04 है0 पर हनुमान पुत्र रामदेव ख0न0 323 रकबा 0.47 है0 पर शंकर ,भेरू पिता रामदेव

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

ख0न0 324 रकबा 0.63 है0 पर शंकर ,भेरू पिता रामदेव ख0न0 320 रकबा 0.06 है0 कजोड ,रामदेव पिता बालू एवं ख0न0 321 रकबा 1.15 है0 पर हनुमान कानजी,जीतमल पिता रामदेव का कब्जा काश्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही कर राजीनामा पेश किया गया जिसमे प्रतिवादी ने वादी के उसको आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त होना बताते हुए ख0न0 322 ,323 ,324 सम्पूर्ण व ख0न 320 रकबा 0.06 मे से 0.03 है0 एवं ख0न0 321 रकबा 1.15 है0 मे से 0.56 है0 वादी के नाम खाते में अकिंत करने बाबत सहमति दी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं मनन करने पर पाया गया कि आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अर्न्तगत अनाधिवासित कृषि भूमि के आंवटन की आज्ञा दिनांक 30.01.1976 को ग्राम बाबई के गत ख0न0 647/648 मे से 11 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन वादी रामदेव पुत्र बाल्या को किया गया उक्त आवंटन पत्र का नामान्तकरण व राजस्व जमाबन्दी में उक्त नामान्तकरण का अमल सम्बधी दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम बाबई के नवीन ख0न0 320, 321 ,322, 323 ,324 गत ख0सं0 657/749 में सें बने है जबकि वादी को खसरा संख्या 647/848 का आवंटन किया गया था इस प्रकार वादी यह सिद्व करने में असफल रहा है।कि उसको आवंटित ख0सं0 का अमल राजस्व रिकार्ड में गलत हुआ है।अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

PD. ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली
व इजलास श्री सुधान्शु शर्मा R.A.S.

1. रामदेव आत्मज बाला जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

बनाम

1. कजोड आत्मज बालू उर्फ बाला जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़

दावा बाबत 88, 89, 188 R.T.A व 136 L.R.Act

मुकदमा नम्बर 65/दावा/2018 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसको आवंटित ख. सं. का अमल राजस्व रिकार्ड में गलत हुआ है अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-10-2021 माह सन को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॅन		
5. खर्चा गवाहॅन			5. फीस [illegible]		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner